FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा

बजरंग लाल बनाम राजस्थान मदनलाल वगै0

किस्म मुकदमा– वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीए नं0 ....43.......... सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स 2018/0127	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.2018	वादी/वादीगण बजरंग लाल की ओर से यह वाद श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता देखी गई। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 30.07.2018 को पेश हों।	
30/7/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक ---6/8/18--- को पेश हो। प्रकरण में प्रतिवादीगण की तलबी प्राप्त हो चुकी है। [illegible] मिसल किया। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण हेतु आगामी दिनांक को पेश हो।	
6/8/18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। ~~पीठासीन अधिकारी के राजकार्य~~ हाईकोर्ट जयपुर में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक --18/9/18-- को पेश हो।	आ. [illegible]
18.9.18	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी मय वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित। उभयपक्ष नें उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने निवेदन किया कि उक्त मुकद्में में वादी के मध्य स्वेच्छा से राजीनामा हो गया है तथा प्रतिवादीगण वादी के ...	[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्ब अहक हुक्म क जारी हुए

रकबा 0.96 हे0 भूमि की पूर्वी दिशा में किसी प्रकार की मेड नहीं तोडेंगे तथा वादी के खातें की भूमि में किसी प्रकार का कब्जा व अतिक्रमण नहीं करेंगे। अन्त में निवेदन किया है कि वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमानें की कृपा करें।

राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया, उभयपक्ष ने राजीनामा पर सहमति व्यक्त करते हुए दावा डिक्री किये जानें की सहमति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित किये। वादी की पहचान वकील श्री प्रमोद चौधरी द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर विधिक विचारण किया गया। वादी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2071–74 खाता सं0 109 से प्रमाणित है। चूंकि वादी विवातिद आराजी का एकमात्र अभिलिखित खातेदार है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं होता है। उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादीगण नें स्वयं कथन किये है कि वह "वादी के खातें की भूमि ख0नं0 812 रकबा 0.96 हे0 भूमि की पूर्वी दिशा में किसी प्रकार की मेड नहीं तोडेंगे तथा वादी के खातें की भूमि में किसी प्रकार का कब्जा व अतिक्रमण नहीं करेंगे" ऐसी स्थिति में वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि "प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी आराजी ख0नं0 812 रकबा 0.96 हे0 वाके ग्राम ढाबा तहसील दीगोद की मेड को नहीं तोडे और वादी के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें।" तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनॉक

राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया, उभयपक्ष ने राजीनामा पर सहमति व्यक्त करते हुए दावा डिक्री किये जानें की सहमति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर/अंगूठा अंकित किये। वादी की पहचान वकील श्री प्रमोद चौधरी द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर विधिक विचारण किया गया। वादी विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2071–74 खाता सं0 109 से प्रमाणित है। चूंकि वादी विवातिद आराजी का एकमात्र अभिलिखित खातेदार है तथा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध प्रकट नहीं होता है। उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादीगण नें स्वयं कथन किये है कि वह "वादी के खातें की भूमि ख0नं0 812 रकबा 0.96 हे0 भूमि की पूर्वी दिशा में किसी प्रकार की मेड नहीं तोडेंगे तथा वादी के खातें की भूमि में किसी प्रकार का कब्जा व अतिक्रमण नहीं करेंगे" ऐसी स्थिति में वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि "प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी आराजी ख0नं0 812 रकबा 0.96 हे0 वाके ग्राम ढाबा तहसील दीगोद की मेड को नहीं तोडे और वादी के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें।" तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनॉक 18/09/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।